बिहार सरकार
परिवहन विभाग

संख्या–07 / स्था0–01–20 / 2014, परि0 **पटना, दिनांक–**

आदेश

श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्तन अवर निरीक्षक को कृष्णा सेतु रेल–सह–सड़क पुल, मुंगेर पर ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने एवं ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के आदेश सं0–9866, दिनांक–27.12.2022 द्वारा मुंगेर जिला में प्रतिनियुक्ति किया गया था। श्री सिंह दिनांक–31.01.2023 से स्वास्थ्य कारणों से आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति से प्रस्थान कर गये एवं लगातार अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहे।

2. श्री सिंह द्वारा अस्वस्थता का कारण बताते हुए लगातार कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने एवं मुंगेर जिला का राजस्व से संबंधित कार्य प्रभावित होने के कारण जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–312, दिनांक–09.02.2023 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु इस विभाग से अनुशंसा किया गया है।

3. श्री सिंह के स्वास्थ्य कारणों से अवकाश में रहने के आलोक में जिला पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक–311, दिनांक–09.02.2023 द्वारा सिविल सर्जन, मुंगेर की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय कागजात / पुर्जा एवं जाँच रिपोर्ट के साथ उक्त गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष 24 घंटे के अंदर उपस्थित होने का निदेश श्री सिंह को दिया गया था। इस संबंध में विभाग स्तर से भी इन्हें विभागीय पत्रांक–966, दिनांक–14.02.2023 द्वारा मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया था। किन्तु श्री सिंह विभागीय आदेश के बावजूद मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

4. श्री सिंह को बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने, चिकित्सा संबंधी अवकाश का आवेदन देकर निर्धारित मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने एवं मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं होने के आरोप में **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश सं0–5610, दिनांक–18.07.2023 के द्वारा श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया** तथा निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, सारण निर्धारित किया गया।

5. विभागीय आदेश सं0–5792, दिनांक–24.07.2023 के द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए एक पक्ष के अन्दर लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह के द्वारा दिनांक–16.09.2023 को अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

6. निलंबन आदेश सं0–5610, दिनांक–18.07.2023 के विरूद्ध श्री सिंह के द्वारा माननीय मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार, परिवहन विभाग के समक्ष अपीलवाद सं0–05 / 2023, दिनांक–18.09.2023 दायर किया गया। सम्यक विचारोपरान्त माननीय मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार के आदेश ज्ञापांक–180, दिनांक–01.12.2023 के द्वारा निलंबन आदेश सं0–5610, दिनांक–18.07.2023 को निरस्त कर दिया गया।

7. श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्तन अवर निरीक्षक (तत्कालीन प्रतिनियुक्ति जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर, सम्प्रति – पटना) के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधान के आलोक में विभागीय ज्ञाप सं0–12944, दिनांक–24.10.2024 द्वारा संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

8. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त पत्रांक–737, दिनांक–24.09.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक प्रमाणित माना गया है।

9. जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत ज्ञाप सं0–1517, दिनांक–07.03.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री सिंह को उपलब्ध कराते हुए लिखित अभिकथन एक पक्ष के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया गया।

10. श्री सिंह द्वारा लिखित अभिकथन दिनांक–03.12.2025 को समर्पित किया गया।

11. श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के विरूद्ध उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया।

समीक्षोपरान्त श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के अन्तर्गत **संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि पर रोक** की शस्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

ह0/–

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2057 पटना, दिनांक– 17/03/2026

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, मुंगेर/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, पटना/श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, पटना/आई0 टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.26

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

संख्या–07 / स्था0–01–20 / 2014, परि0 2057 पटना, दिनांक– 17/03/2026

आदेश

श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्तन अवर निरीक्षक को कृष्णा सेतु रेल–सह–सड़क पुल, मुंगेर पर ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने एवं ट्रैफिक जाम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के आदेश सं0–9866, दिनांक–27.12.2022 द्वारा मुंगेर जिला में प्रतिनियुक्ति किया गया था। श्री सिंह दिनांक–31.01.2023 से स्वास्थ्य कारणों से आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति से प्रस्थान कर गये एवं लगातार अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहे।

2. श्री सिंह द्वारा अस्वस्थता का कारण बताते हुए लगातार कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने एवं मुंगेर जिला का राजस्व से संबंधित कार्य प्रभावित होने के कारण जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक–312, दिनांक–09.02.2023 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु इस विभाग से अनुशंसा किया गया है।

3. श्री सिंह के स्वास्थ्य कारणों से अवकाश में रहने के आलोक में जिला पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक–311, दिनांक–09.02.2023 द्वारा सिविल सर्जन, मुंगेर की अध्यक्षता में मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय कागजात / पुर्जा एवं जाँच रिपोर्ट के साथ उक्त गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष 24 घंटे के अंदर उपस्थित होने का निदेश श्री सिंह को दिया गया था। इस संबंध में विभाग स्तर से भी इन्हें विभागीय पत्रांक–966, दिनांक–14.02.2023 द्वारा मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया था। किन्तु श्री सिंह विभागीय आदेश के बावजूद मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

4. श्री सिंह को बिना अवकाश स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने, चिकित्सा संबंधी अवकाश का आवेदन देकर निर्धारित मुख्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने एवं मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं होने के आरोप में **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय आदेश सं0–5610, दिनांक–18.07.2023 के द्वारा श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया** तथा निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, सारण निर्धारित किया गया।

5. विभागीय आदेश सं0–5792, दिनांक–24.07.2023 के द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए एक पक्ष के अन्दर लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह के द्वारा दिनांक–16.09.2023 को अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

6. निलंबन आदेश सं0–5610, दिनांक–18.07.2023 के विरूद्ध श्री सिंह के द्वारा माननीय मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार, परिवहन विभाग के समक्ष अपीलवाद सं0--05 / 2023, दिनांक–18.09.2023 दायर किया गया। सम्यक विचारोपरान्त माननीय मंत्री–सह–अपीलीय प्राधिकार के आदेश ज्ञापांक–180, दिनांक–01.12.2023 के द्वारा निलंबन आदेश सं0–5610, दिनांक–18.07.2023 को निरस्त कर दिया गया।

7. श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्तन अवर निरीक्षक (तत्कालीन प्रतिनियुक्ति जिला परिवहन कार्यालय, मुंगेर, सम्प्रति – पटना) के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधान के आलोक में विभागीय ज्ञाप सं0–12944, दिनांक–24.10.2024 द्वारा संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

8. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त पत्रांक–737, दिनांक–24.09.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक प्रमाणित माना गया है।

9. जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत ज्ञाप सं0–1517, दिनांक–07.03.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री सिंह को उपलब्ध कराते हुए लिखित अभिकथन एक पक्ष के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया गया।

10. श्री सिंह द्वारा लिखित अभिकथन दिनांक–03.12.2025 को समर्पित किया गया।

11. श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के विरूद्ध उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया।

समीक्षोपरान्त श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के अन्तर्गत **संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि पर रोक** की शस्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

16.3.26

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।